रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)--73

REGISTERED No. D.(D)--73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 1981/ज्येष्ठ 23, 1903

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 1981/JYAISTHA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)
## PART II —Section 3—Sub section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

---

### विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

### कम्पनी कार्य विभाग

### (कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 मई, 1981

सा०का० नि० 546--भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(ङ) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि-प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की, अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मै० असाही कैमिकल इन्डस्ट्री कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में जो एक विदेशी कम्पनी है' उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुये लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31-3-1980 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बावत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(1) (i) अधिनियम की धारा 592 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति

(2) भारत के शासप्राप्त लेखापाल, द्वारा प्रमाणित इसकी भारतीय शाखा की प्राप्तियों तथा अदायगियों का विवरण-पत्र

(2) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण-पत्र

(3) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कम्पनी ने 31-3-1980 के वर्ष की समाप्ति के मध्य भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

(4) कम्पनी के निगमन के देश में प्रस्तुत की गई 31-3-1980 के वर्ष समाप्ति की विश्व लेखे की प्रति।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से।

[फा० सं० 14/3/81-सी०एल०-8]

वेद प्रकाश उप्पल, अवर सचिव

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1981

सा०का०नि० 568 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में,

(1) पुस्तकालयाध्यक्ष (ज्येष्ठ) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 73 के सामने स्तंभ 7 और 8 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

स्तंभ 7: "35 वर्ष"।

स्तंभ 8: "(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या उसका समतुल्य।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य डिप्लोमा।

(3) संबंधित प्रादेशिक भाषा का अध्ययन कम से कम हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में या अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में किया हो।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष (कनिष्ठ) पद से संबंधित क्रम संख्यांक 74 के सामने स्तम्भ 7, 8 और 11 के नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

स्तंभ 7: "35 वर्ष।"

स्तंभ 8: "(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या उसका समतुल्य।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था की पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या समतुल्य डिप्लोमा।

(3) किसी प्रादेशिक भाषा का अध्ययन कम से कम हाई स्कूल स्तर तक शिक्षा के माध्यम के रूप में या अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में किया हो।"

स्तंभ 11: "100% कर्मचारी चयन आयोग की मार्फत।"

[संख्या ए० 12019/3/80-बी(ए)]

आर० डी० जोशी० अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th April, 1981

**G.S.R. 568.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964.

(1) for the entries under columns 7 and 8 against serial number 73, relating to the post of Libarian (Senior), the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Column 7 : "35 years."

Column 8 : "(i) A degree of a recognised University or its equivalent.

(ii) A degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised University or Institution.

(iii) Should have studied the 'regional language' concerned upto atleast high school level either as a medium of instruction or as a compulsory or optional subject.

(iv) Three years experience as a Librarian."

(2) for the entries under columns 7, 8 and 11 against Serial No. 74, relating to the Post of Librarian (Junior) the following entries shall respectively be substituted, namely :—

Column 7 : "35 years."

Column 8 : "(i) A degree of a recognised University or its equivalent.

(ii) A degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised University or Institution.

(iii) Should have studied one 'regional language' concerned upto at least high school level either as a medium of instruction or as a compulsory or optional subject."

Column 11 : "100% through Staff Selection Commission."

[No. A-12019/3/80-B(A)]

R. D. JOSHI, Under Secy

## डाक-तार महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली, 27 मई 1981

सा०का०नि० 569 संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा डाक-तार महानिदेशक के कार्यालय में फोटो कापिंग मशीन आपरेटर की भर्ती की प्रणाली को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. लघुशीर्ष और प्रारम्भ (1) ये नियम डाक-तार फोटो कोपिंग मशीन आपरेटर भर्ती नियम, 1981 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक के उल्लेखानुसार होंगे ।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा और योग्यताएं इत्यादि :—उक्त पद के लिए भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक के उल्लेखानुसार होंगी।